भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1293

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

सखी योजना

1293. **श्री जय प्रकाश:**

श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सखी (वन स्टॉप सेंटर) योजना का उद्देश्य महिलाओं को हिंसा से बचाना तथा तत्काल सहायता, परामर्श और कानूनी सहायता प्रदान करना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत हिसार और सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में स्थापित उक्त केंद्रों की संख्या और उनमें उपलब्ध सुविधाएं वास्तविक आवश्यकता की तुलना में अपर्याप्त हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2020 से अब तक उक्त क्षेत्रों में सखी योजना के अंतर्गत कोई मामला दर्ज किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें महिलाओं को क्या सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या इन केंद्रों पर प्रशिक्षित कार्मिकों, बजटीय सहायता और अवसंरचना की कमी के कारण प्रभावित महिलाओं को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त क्षेत्र में सखी केंद्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए अतिरिक्त बजट, मानव संसाधन/ अवसंरचना का ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त क्षेत्रों में सखी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन, निगरानी / विस्तार के लिए कौन सी समयबद्ध कार्य योजना हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (च): वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल वर्टिकल का एक घटक है। यह निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनोसामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करता है।

यह योजना मांग-आधारित है और हरियाणा राज्य से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर 27 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 22 ओएससी कार्यरत हैं, जिनमें हिसार संसदीय क्षेत्र के हिसार जिले में एक ओएससी तथा सोनीपत संसदीय क्षेत्र के सोनीपत और जिंद जिलें में एक-एक ओएससी शामिल हैं। इस योजना की शुरुआत अर्थात 1 अप्रैल, 2015 से 30 सितंबर, 2025 तक, हिसार और सोनीपत संसदीय क्षेत्र सहित हरियाणा राज्य में ओएससी के तहत 53,628 महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

मिशन शक्ति के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार संबल उप-योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। देशभर में वन स्टाप सेंटर (ओएससी) के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त कर्मचारी और बुनियादी ढांचा संबंधी सहायता प्रदान की जाती है। हालांकि, मिशन शक्ति के अंतर्गत सभी योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के अधीन है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) या एसएनए स्पर्श के लिए व्यय विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर निधि जारी की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष में एक बार, कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर इस योजना के अंतर्गत गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करता है और उद्देश्यों की प्राप्ति, ग्रामीण, उपेक्षित समुदायों सहित महिलाओं और बच्चों को प्रभावी ढंग से सेवाएं प्रदान करने की स्थिति की समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के अधिकारी समय-समय पर बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से इस योजना की निरंतर समीक्षा करते हैं।

*****